



IS 15700:2005

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय
ऑफिस कॉम्प्लैक्स, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
कल्याणपुर, कानपुर-208017
E-mail: ed3knp@upavp.com

भारतीय मानक चूर्चा IS 15700 : 2005



पत्रांक

1645 /वि०ख०-३, कानपुर/ ८६ १९०

दिनांक : 19-11-19

ई-निविदा सूचना

अधोस्तादरी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु निम्न विवरणानुसार ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो कि ई-प्रीक्षयोरमेंट सॉल्यूशन प्रणाली द्वारा खाली जायेगी।

क्र० सं	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख मे)	धरोहर धनराशि (रु० लाख मे)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपये मे)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ई निविदा डाउनलोड करने की तिथि	टेक्निकल विड खुलने की तिथि व समय	फाइलेशियल विड खुलने की तिथि व समय
१	मदोक्ता योजना संख्या-८ (शाकुम्भी विहार योजना) सहारनपुर मे निर्माणाधीन एफ-४५ (जी०-३) प्रकार के भवनों के क्षेत्र मे वाह्य विद्युतीकरण का कार्य।	80.50	1.60	3000.00 + 18% GST	04 माह	26.11.19	04.12.19 11:00 बजे पूर्णांह	06.12.19 03:00 बजे अपराह्न

नियम व शर्तें :-

- निविदा प्रपत्र एवं अन्य नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर उ०प्र० इलैक्ट्रोनिक्स कापोरेशन की वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वह नियमित रूप से उक्त वेबसाइट पर देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध मे कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर घारक ठेकेदारों द्वारा ही ऑनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

प्रकाशनार्थ नहीं :-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वाछित धरोहर धनराशि का भुगतान RTGS के नायम से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष मे अलग-अलग कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक किया जा सकता है। उपरोक्त की स्फैन प्रति तकनीकी विड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

Detail of RTGS :-

Name of Holder-Executive Engineer, ED-III, UPAVP, Kanpur.

Name of Bank :-Bank of Baroda Branch Lakhnupur, Kanpur

Account No. :- 40010100009877

IFSC Code No. BARBOLAKHAN

- उक्त कार्यों की निविदा डबल विड प्रणाली मे प्राप्त एवं खोली जायेगी।
- उक्त कार्यों की निविदा परिषद मे विद्युत योग्यिक कार्यों हेतु पंजीकृत कर्मों की ही मात्र होगी।
- नियिदादाता को, निविदा स्वीकृति की दशा मे अनुबन्ध गठन से पूर्व कार्य की लागत का 10% (दस प्रतिशत) सिक्योरिटी धनराशि एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप मे जो अधिशासी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर के पक्ष मे बन्धक हो, को निविदा स्वीकृति प्रपत्र निर्गत होने के 07 दिन के भीतर कार्यालय मे जमा करना होगा अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची मे डालने की कार्यवाही की जायेगी।
- फर्म की दरे निविदा की बी.ओ.व्यू मे अंकित दरों से 10 प्रतिशत तक कम होने तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम होने पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परकारमेंस गारंटी उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-६२२/२३-१२-२०१२-२ आडिट/०८ टी.सी. दिनांक ०८ जून २०१२ एवं तदकम मे मुख्य अभियन्ता (म०) के पत्रांक ४१९६/निविदा/२०१८ दिनांक १४-०९-२०१८ के अनुसार निविदा खुलने के एक सप्ताह के अंदर जमा करने के पश्चात ही निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समय मे परकारमेंस गारंटी की धनराशि का एफ०डी०आर० प्राप्त न होने की स्थिति मे निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची मे डालने की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध मे अलग से कोई पत्रावार नहीं किया जायेगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा मे अनुबन्ध के निष्पादन हेतु रु० 100.00 मूल्य का नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा। यदि मा० उच्चतम न्यायालय/शासन द्वारा स्टाम्प पेपर के मूल्य के सम्बन्ध मे अन्य कोई आदेश पारित होते हैं तो तदानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध मे अनुबन्ध के समय रु० 10.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
- समस्त कार्य उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० तथा उ०प्र० पी०डब्ल०डी० की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगे।
- कार्यों मे प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्रियों की जी०टी०पी० उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से अनुमोदित करा कर सामग्रियों का निर्माता के परिसर मे उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सामग्री प्रबन्ध अनुभाग से निरीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी। उक्त मे किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही कोई समयवृद्धि दिया जाना सम्भव होगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

ग्रन्थालय 2

9. ठेकेदारों/अभियोगको का पंजीकरण श्रम विभाग में होना अनिवार्य है।
10. निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उपलब्ध होगा, जिसका ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. कार्य की मात्रा घट-बढ़ सकती है जिसके लिये निविदादाता का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
12. निविदादाता द्वारा दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा। यदि दस्तावेजों के कर्जी या गलत होने की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया जायेगा।
13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आकलन प्रत्यक्ष माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूम्पूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध में निहित शर्तों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. निविदादाता को व्यापार कर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता के निविदा स्पीकर्ट/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह सज्जान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता साक्रिय रूप से माफिया, गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिससे किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
16. दो०आ०क्य० को दरों में लेवर सेस तथा जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर समिलित हैं। लेवर सेस तथा जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
17. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
19. निविदा की टेक्निकल/फाइनेस्मियल विड खुलने की तिथि को यदि कोई अवकाश पड़ता है तो निविदा की टेक्निकल/फाइनेस्मियल विड अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर प्राप्त कर खोली जायेगी।
20. सभी फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्य रथल का निरीक्षण अवश्य कर ले। उक्त निविदा में उल्लिखित कार्य के सम्मुख अकित अवधि में किसी भी प्रकार की समयवृद्धि मान्य नहीं होगी।

पृ०स०

1645 /

G6

100

दिनांक :

(ओवेश)
 १९-१-१९
 अधिकारी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ को उनसे हुए विचार विमर्श के कम में।
2. अधिकारी अभियन्ता, विद्युत खण्ड-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/गाजियाबाद
3. इंद्यार्ज कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ, को उक्त निविदा सूचना परिषद वेबसाइट एवं एन०आई०सी० की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर, उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर प्रकाशित कराये।
4. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता-द्वितीय, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि समयान्तरांत निविदा प्रपत्र तैयार कराकर परिषद वेबसाइट एवं एन०आई०सी० की वेबसाइट www.upavp.com के निविदा लिंक पर, उ०प्र० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सहायक लेखाधिकारी विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
6. अद्वर अभियन्ता श्री मेराजुद्दीन आहमद, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
7. नाटिस बोर्ड, विद्युत खण्ड-तृतीय, कानपुर।
8. मेसर्स प्राची मीडिया कन्सल्टेन्ट, 6/2 गोखले इन्क्लेव, गोखले मार्ग, लखनऊ को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना को लखनऊ से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "तरल मित्र" एवं कानपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "आज" में तीन दिन के अन्दर न्यूनतम स्थान देते हुए प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल द्विपर्ण में विद्युत खण्ड-तृतीय, कानपुर के कार्यालय में प्रेषित करें।

(अधिकारी अभियन्ता)
 अधिकारी अभियन्ता